

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.


क्रमांक :- दुरुस्ती/21/13

दिनांक ...18/10/2021

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुरतपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक अजीतपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार भादरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 141/132 सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 141/132, 190/184 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र. सं.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सुरतपुरा</u>	<u>141/132</u>	<u>श्रीनाथ S/O रामू</u>	<u>शिवनाथ सिंह S/O रामलाल</u>
2	<u>सुरतपुरा</u>	<u>190/184</u>	<u>श्रीनाथ S/O रामू</u>	<u>शिवनाथ सिंह S/O रामलाल</u>



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:- सम/21/132-33

दिनांक : 18/10/2021

प्रतिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया शिवनाथ सिंह निवासी सुरतपुरा को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़